अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

भू–वापसी अपील वाद संख्या–16/2011–12

जगदीश उराँव बनाम निर्मल बेदिया वगै०

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
16/11/2012	प्रस्तुत अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद सं0–18/2009–10 जगदीश उराँव बनाम् शम्भू ओहदार में दिनांक–29.11.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया है। जिसे अंगीकृत कर संबंधित पक्षों को नोटिस करते हुए वाद की सुनवाई प्रारम्भ की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में वाद सं0–17/09–10, 18/09–10, 20/09–10 पारित आदेश के आलोक में भवदीय न्यायालय में मौजा कुरसे, थाना सं0 47, थाना पतरातु के अन्तर्गत खाता सं0 46, प्लॉट सं0 45, 318, 319, 519, 520, 940, 942 रकवा क्रमशः 2.41, 1.12, 0.01, 0.42, 0.34, 0.23, 1.16 एकड़, कुल रकवा–5.69 एकड़ भूमि का भू–वापसी अपील आवेदन दायर किया गया। जिसे समेकित करते हुए, वाद सं0–16/2011–12 भवदीय न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया है। उक्त वर्णित वाद में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दिनांक–29.11.2011 का तथ्यों का सही से विश्लेषण किये बिना, आदेश पारित किया गया। उपरोक्त वर्णित भूमि सर्वे खतियान में सुकरा उरांव, पुत्र–लंगरा उरांव के नाम से दर्ज है। सुकरा उरांव एक पुत्र बिगन उरांव को छोड़ कर फौत कर गए। बिगन उरांव अपने पीछे तीन पुत्र राथो उरांव, उघन उरांव और कार्तिक उरांव को छोड़ कर फौत कर गए। राथो उरांव अपने पीछे तीन पुत्र दशरथ उरांव, जगदीश उरांव व सुखदेव उरांव को छोड़कर फौत कर गए। उघन उरांव अपने पीछे तीन पुत्र देवपाल उरांव, देवचन्द्र उरांव और रामचन्द्र उरांव को छोड़ कर फौत कर गए। जबकि कार्तिक उरांव अपने पीछे मात्र एक पुत्र पप्पु उरांव को छोड़ कर फौत कर गए। विपक्षीगण प्रश्नगत् भूमि पर 6–7 वर्षों से अवैध दखल किये हुए हैं। अपीलार्थी का नाम अंचल कार्यालय, पतरातु के पुरानी पंजी–II में दर्ज है, परन्तु अंचल कार्यालय से इस संदर्भ में दस्तावेज मांग करने के बाद पुरानी पंजी–II का नकल नहीं दिया जा रहा है। आवेदक द्वारा पूर्व में निर्गत लगान रसीद खो गई है। जिसे इस समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका। विषयगत् वाद में विपक्षी द्वारा यह बताया जा रहा है कि प्रश्नगत् भूमि पूर्व जमीन्दार द्वारा बंदोबस्ती से प्राप्त है। जिसके संबंध में उनके द्वारा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, कि जमीन्दार द्वारा बिना उपायुक्त के आदेश के किस प्रकार जमीन को अधिग्रहित और बंदोबस्त किया गया है। यह छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का सीधे तौर पर उल्लंघन है। विपक्षी द्वारा दावा किया जा रहा है कि दिनांक–15.05.1928 को शंभु ओहदार की पुत्री कविलासो देवी को प्रश्नगत् जमीन सादा हुकुमनामा से प्राप्त है। जबकि Manner/Female के लिए इस प्रकार की बंदोबस्ती	

कानूनी दृष्टि से वैध नहीं है। सादा हुकुमनामा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय वाद सं0–JLJR2008 (2) page 538 to 543 में अवैध मानी गई है। विपक्षी द्वारा मौजा–कुरसे

के खाता सं0–46 और खाता सं0–76/4, कुल रकवा–8.56 एकड़ की जमाबंदी एक साथ कायम होने का दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहा है। जबकि खाता सं0–76/4 गैरमजरूआ खाते की भूमि है। विपक्षी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा भू–अर्जन की नोटिस में थाना सं0 भिन्न है। जिससे पता चलता है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया दस्तावेज जाली है। अंचल अधिकारी, पतरातु द्वारा भी इस संदर्भ में स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। प्रश्नगत् भूमि के संबंध में जमींदार द्वारा कोई जमींदारी रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है। जबकि पंजी–II के पेज सं0–102/I में खाता सं0–46 और खाता सं0–76/4, कुल रकवा–8.56 एकड़ की जमाबंदी शंभु ओहदार के नाम से किसी सक्षम अधिकारी के आदेश प्राप्त किये बिना खोली गई है।

निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर विचार किए बिना विषयगत वाद में भू–वापसी का आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त साक्ष्यों के आलोक में अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए, निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारीज करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद सं0–17/2009–10, 18/2009–10, 19/2009–10 एवं 20/2009–10 में संयुक्त आदेश अपीलार्थी के विरूद्ध पारित किया गया है। प्रश्नगत् भूमि मौजा–कुरसे, थाना सं0–47, थाना–पतरातु के अन्तर्गत खाता सं0–46, प्लॉट सं0–45, 318, 319, 519, 520, 940, 942 रकवा क्रमशः 2.41, 1.12, 0.01, 0.42, 0.34, 0.23, 1.16 एकड़, कुल रकवा–5.69 एकड़ सुकरा उरांव, पिता–लंगरा उरांव के नाम से खतियान में दर्ज है। सुकरा उरांव निःसंतान फौत किये एवं खाता सं0–46 की भूमि Abondoned हो गयी। उक्त Abondoned भूमि को जमींदार के द्वारा Resumed कर ली गयी है एवं उक्त भूमि पर दखलकार हुए। उक्त भूमि जमींदार की बकास्त भूमि हो गयी। जमींदार द्वारा मौजा–कुरसे, थाना सं0–47, थाना–पतरातु के अन्तर्गत खाता सं0–46, प्लॉट सं0–45, 318, 319, 519, 520, 940, 942 रकवा क्रमशः 2.41, 1.12, 0.01, 0.42, 0.34, 0.23, 1.16 एकड़, कुल रकवा–5.69 एकड़ भूमि शम्भु ओहदार ने अपनी बेटी कविलासो देवी के नाम पर भूतपूर्व जमींदार सोना राम साहु, पिता–शामनाथ साहु से समूचित सलामी से लगान निर्धारित कर हुकुमनामा के माध्यम से दिनांक–15.05.1928 को प्राप्त किया। बंदोबस्ती के पश्चात् शम्भु ओहदार बंदेबस्तीधारी रैयत के साथ उक्त भूमि पर दखलकार हुए एवं जमींदार के सिरिश्ते लगान भुगतान किये तथा जमींदारी रसीद प्राप्त किये। बंदोबस्तीधारी रैयत कविलासो देवी निःसंतान मर गयी। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् कविलासो देवी के नाम से उक्त बंदोबस्त भूमि की जमाबंदी राजस्व पंजी–II में शम्भु ओहदार के नाम से खोली गयी एवं लगान भुगतान

के विरूद्ध लगान रसीद दिया गया। जिसकी जमाबंदी अंचल अधिकारी, पतरातु के कार्यालय में पंजी–II के पेज सं०–102/I खाता सं0–46 एवं 76/4 के अन्तर्गत कुल रकवा–8.56 एकड़ भूमि की जमाबंदी शम्भु ओहदार के नाम से चल रही है, जिसमें प्रश्नगत् खाता सं0–46 का रकवा–5.69 एकड़ भूमि सम्मिलित है। उक्त तथ्य की पुष्टि अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से भी होती है। प्रश्नगत् खाता सं0–46 के अन्तर्गत प्लॉट सं0–45, रकवा–0.65 एकड़ भूमि का अधिग्रहण बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 1969 में किया गया था, उस समय उक्त भूमि के लिए शम्भु ओहदार के नाम से नोटिस निर्गत किया गया था। प्रश्नगत भूमि पर हाल–सर्वे में विपक्षी के दावा–दखल के आधार पर विपक्षीगण के नाम से प्रारंभिक पर्चा भी निर्गत किया गया है। वास्तव में अपीलार्थी पतरातू अंचल के मौजा–भण्डरा के खाता संख्या–17 निवासी है। खाता संख्या–17 सुकरा उराँव पिता–रसुवा उराँव के नाम से दर्ज है। जबकि प्रश्नगत भूमि मौजा–कुरसे के खाता संख्या–46 सुकरा उराँव पिता–लंगरा उराँव के नाम से दर्ज है। विषयगत वाद के संबंध में अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा अपने प्रतिवेदन में साफ–साफ उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी पंजी–II में शंभु ओहदार के नाम से भोलूम–1, पृष्ठ सं0–102 पर कायम है एवं विपक्षी प्रश्नगत भूमि पर 20 वर्षो से दखलकार हैं। विपक्षी सुकरा उराँव के नाम से पंजी–II में कोई जमाबंदी कायम नहीं है। PLJR 1993(1),1973 में भी 12 वर्षो से अधिक बेदखली को स्वीकार माना गया है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय AIR/1968 मो0 उगनी बनाम चावा महतो में सादा हुकुमनामा व मौखिक आदेश के आलोक में निर्गत लगान रसीद को वैध माना गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधि–सम्मत मानते हुए, आदेश को यथावत् बहाल रखने व अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारीज करने का अनुरोध किया गया है।

विषयगत वाद में अंचल अधिकारी, पतरातु ने अपने पत्रांक–151, दिनांक–26.02.2010 के द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में लिखा है कि मौजा–कुरसे थाना सं0–47, थाना पतरातु के अंतर्गत खाता सं0–46, प्लॉट सं0–45, 318, 519, 520, 940, 942, रकवा क्रमशः 0.60, 0.28, 0.08½, 0.10½, 0.05¾, एवं 0.29, कुल रकवा–1.41¾ एकड़ भूमि सर्वे खतियान में सुकरा उरांव, पिता लंगरा उराँव के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, पतरातु के द्वारा आगे प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा कुरसे थाना सं0–47, थाना पतरातु के अंतर्गत खाता सं0–46, प्लॉट सं0–45, 318, 520, 519, 940, 942, रकवा क्रमशः 2.41, 1.21, 0.01, 0.42, 0.34, 0.23, 1.16 एकड़, कुल 5.86 एकड़ भूमि आदिवासी खाते की भूमि है, जो सर्वे खतियान में आवेदक के परदादा सुकरा उरांव वल्द लंगरा उरांव के नाम से दर्ज है। परन्तु पंजी–II में सुकरा उरांव या उनके वारिसान के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है। खतियानी रैयत के मूल उत्तराधिकारी दशरथ उरांव वो जगदीश उरांव वो सुखदेव उरांव, पिता राथो उरांव है। पुनः पंजी–II के पेज सं0–102/I खाता सं0–46 एवं 76/4 के अन्तर्गत कुल रकवा–8.56 एकड़ भूमि की जमाबंदी शम्भु ओहदार, पिता–चेतावन ओहदार के नाम से कायम है। विपक्षी के द्वारा कोई कागजात

प्रस्तुत नहीं किया गया। अंचल अधिकारी, पतरातु के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्थानीय जाँच के क्रम में ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि भूमि पर विपक्षी का कब्जा लगभग 20 वर्षों से है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी शम्भु ओहदार के वंशजो का कब्जा है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता रामगढ़ ने अंचल अधिकारी, पतरातु से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में प्रतिवेदित किया है कि मौजा कुरसे थाना सं0–47, थाना पतरातु के अंतर्गत खाता सं0–46, प्लॉट सं0–45, 318, 520, 519, 940, 942, रकवा क्रमशः 0.60, 0.28, 0.08½, 0.10½, 0.05¾, एवं 0.29, कुल रकवा–1.41¾ एकड़ भूमि सर्वे खतियान में सुकरा उरांव, पिता लंगरा उरांव के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत् भूमि आदिवासी खाते की भूमि है, जो सर्वे खतियान में आवेदक के परदादा सुकरा उरांव वल्द लंगरा उरांव के नाम से दर्ज है। परन्तु पंजी–II में सुकरा उरांव या उनके वारिशानों के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है। खतियानी रैयत के मूल उत्तराधिकारी दशरथ उरांव वो जगदीश उरांव वो सुखदेव उरांव, पिता राथो उरांव है। पंजी–II के पेज सं0–102/I पर खाता सं0–46 एवं 76/4 के अन्तर्गत कुल रकवा–8.56 एकड़ भूमि की जमाबंदी शम्भु ओहदार, पिता–चेतावन ओहदार के नाम से कायम है, जिसमें प्रश्नगत् प्लॉट के रकवा–5.68 एकड़ भूमि सम्मिलित है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदनानुसार विपक्षी शम्भु ओहदार के वंशजो का लगभग 20 वर्षों से दखल–कब्जा है। विपक्षीगण के द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन से पता चलता है कि विपक्षीगण हुकुमनामा के द्वारा वर्ष–1928 में प्रश्नगत् भूमि को हासिल किये हैं। हुकुमनामा के समर्थन में इन्होंने जमींदारी रसीद के अलावे राज्य सरकार के द्वारा निर्गत रसीद प्रस्तुत किये हैं। इससे पता चलता है कि भूमि का अंतरण वर्ष–1928 में ही किया गया है। इसके अलावे वर्ष–1969 में भूमि–अधिग्रहण से संबंधित नोटिस विपक्षी शम्भू ओहदार को निर्गत किया गया था, जिससे पता चलता है कि विपक्षीगण वर्ष–1969 से ही दखलकार हैं।

उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत पक्ष/लिखित अभिकथन, अंचल अधिकारी, पतरातू एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रश्गत भूमि खतीयानी रैयत के आधार पर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। जबकि द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रश्नगत् भूमि सादा हुकुमनामा से प्राप्त करने, पंजी–II में जमाबंदी कायम होने व लंबी अवधि से दखल–कब्जा के आधार पर दावा किया जा रहा है। साथ ही मौजा–कुरसे एवं भंडरा क्रमशः खाता सं0–46 एवं 17 के खतियानी रैयत जगदीश उराँव के पिता के नाम में भिन्नता है। अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का 20 वर्षों से दखल होना प्रतिवेदित किया गया है एवं अपीलार्थी के नाम से पंजी–II में कोई जमाबंदी कायम नहीं होना बताया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भूमि अधिग्रहण के आलोक में प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का वर्ष–1969 से दखलकार माना गया है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत कागजातों आदि के अनुशीलन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46–4 (ए) के प्रावधानों के तहत् विधि–सम्मत आदेश पारित किया गया। जिसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

16.11.2022

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

16.11.2022

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

Digitally signed by NELSAM EYON BAGE
Date: 2022.11.30 21:14:09 +05:30
Location: 192.168.43.75